न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 403/2021
निर्णय दिनांक

1. प्रभुनारायण पुत्र स्व. श्री रामनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रामजीपुराबास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. श्रीमती छोटी देवी पत्नि छोटूराम
3. श्रीमती कमला देवी पत्नि जगदीश
   जरिये मुख्त्यारआम छोटूराम पुत्र विजयमाल निवासी ग्राम नायला, सालेरी की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. मूल्या पुत्र भौरया (मृतक)
   1/1 भगवान सहाय पुत्र मूल्या
   1/2 रामगोपाल पुत्र मूल्या
   1/3 श्रीमती भूली पत्नि मूल्या
   1/4 प्रेम देवी पुत्री मूल्या
   1/5 बदाम देवी पुत्री मूल्या
   1/6 ममता देवी पुत्री मूल्या
   1/7 सुमित्रा देवी पुत्री मूल्या
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रामजीपुराबास नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 13.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 201/2019 उनवान मूल्या बनाम रूकमा व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

दिनांक:- 11/3/2022

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 201/2019 बउनवानी मूल्या बनाम रूकमा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है जिसके गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खसरा नंबर 949 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 949, 956, 973, 974, 989, 999, 953, 981, 948, 1017, 1753, 1754, 1769, 1772, 1801, 2273, 2275, 975/3195, 975/3196, 1802/3198, 1016, 2279, 2291/3167 कुल किता 23 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा है जो जमाबंदी संवत् 2008 से 2027 के क्रमांक 318 खाता नंबर 141 में रामू पुत्र गणेश कौम हरियाणा ब्राहम्ण के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा नंबर 1751 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2267/3172 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 2291/3169 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा मुताबिक खतौनी संवत् 2008 से 2027 के क्रमांक 319 नम्बर खाता 142, रामू पुत्र गणेश व श्योना पुत्र हुकमा बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवम् खसरा नंबर 1073 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मुताबिक खतौनी संवत् 2008 से 2027 के क्रमांक 320 नंबर खाता 143 रामू पुत्र गणेश हिस्सा आठाना, सोन्या पुत्र हुकमा व बीत्या पुत्र रघुनाथ हिस्सा चौथाई, डालू व मोहरिया पुत्र देवा हिस्सा चौथाई राजस्व रिकॉर्ड है। ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ की भूमि का एकीकरण संवत् 2018 में हुआ तो रामू पुत्र गणेश के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के नये खसरा नंबर 769 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 777 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 790 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 907 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा कायम किये गये है। एकीकरण के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने खातेदार रामू पुत्र गणेश खातेदार के साथ रामनाथ पुत्र गुमान व मोहरी बेवा ग्याना हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज कर दिया जिसका कि सेटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं था क्योकि रामू पुत्र गणेश ने अपनी खातेदारी हक किसी प्रकार से रामनाथ व मोहरी को हस्तान्तरित नहीं किये थे ना ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश ही दिया था कि सेटलमेन्ट विभाग उनके नाम हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज कर देवे। रामू की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भौरिया ने उक्त आराजी बतौर खातेदार काश्त की तथा भौरिया के मरने के बाद वादी उक्त आराजी को बतौर खातेदार काश्तकार अकेला संपूर्ण आराजी पर काबिज रह काश्त करता चला आ रहा है, उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारियों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा काश्त रहा, ना ही उक्त अवैध व गैर कानूनी इन्द्राज की जानकारी वादी को कभी रही, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त अवैध व गैर कानूनी इन्द्राज के बावजूद उक्त आराजी में अपना अधिकार ही जताया। खसरा नंबर 907 स्थित ग्रामरामजीपुरा बास नायला में स्थित हिस्सा 1/3 का फौती नामान्तकरण संख्या 41 रामनाथ की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दिनांक 06.01.2022 को तस्दीक हुआ तथा मोहरी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 69 प्रतिवादी संख्या 1 के दिनांक 11.12.2004 को स्वीकार हुआ है जो कि अवैध व गैरकानूनी होने से बमुकाबले वादी प्रभावशून्य है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई हक खातेदारी हासिल नहीं होती है। खसरा नंबर 769, 777, 790 स्थित ग्राम मीणों का बाढ, नायला के बाबत नामान्तकरण संख्या 34 रामनाथ की फोती पर प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 12.08.2002 को तथा नामान्तकरण संख्या 72 मोहरी की फोती पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दिनांक 08.12.2004 को स्वीकार हुआ उक्त दोनो ही नामान्तकरण बमुकाबले वादी अवैध व प्रभावशून्य है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण को कोई हक हासिल नहीं होते। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 ने उक्त अवैध नामान्तकरण तस्दीक होने के बाद भी आज दिन तक उक्त अवैध इन्द्राज बाबत वादी को जानकारी नहीं होने दी तथा ना ही भूमि को कभी काश्त करने

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हेतु कभी वादी से भूमि का कब्जा मांगा इसलिये वादी को उक्त अवैध व प्रभावशून्य इन्द्राज के बाबत कोई जानकारी नहीं हो सकी। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर आये और नाप–जोक करने लगे, वादी ने एतराज किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आराजी हमारे नाम है एवम् झगडा करने पर उतारू हो गये जिस पर गांववालों के बीच बचाव के कारण प्रतिवादी उस समय तो वादग्रस्त आराजीयात से चले गये किन्तु जाते–जाते वादी को धमकी दे गये कि मौका मिलते ही आराजीयात से वादी को बेदखल कर आराजीयात को बेचान करेगे जिस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवम् यह घोषणा की जावे कि नामान्तकरण संख्या 34, 41, 69, 71 अवैध प्रभावशून्य होने से वादी के हकों पर कोई प्रभाव नहीं डालते है तथा एकीकरण के दौरान रामनाथ व मोहरी का नाम गैरकानूनी व अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज किया गया है जो वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालते है तथा प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने से वादी के मुकाबले प्रभावशून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हित में दिनांक 17.01.2005 को करवाये गये विक्रय पत्र को वादी के अधिकारों की सीमा तक शून्य घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास न करें, वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करें, ऐसा न तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर, वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात में रामू पुत्र गणेश का हिस्सा 1/3 दर्ज था एवम् रामू पुत्र गणेश ने अपने जीवनकाल में उक्त हिस्सा 1/3 को सही माना तथा रामू पुत्र गणेश की मृत्यु के उपरान्त भौरिया ने अपने पिता के नाम उक्त हिस्सा 1/3 को सही माना एवम् कभी चुनौती नहीं दी गई, इसी आधार पर नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 04.06.1981 को खुलकर उक्त हिस्सा 1/3 भौरिया पुत्र रामू के हक में दर्ज हुआ जो नामान्तकरण आज दिवस तक प्रभावी है भौरिया पुत्र रामू एवम् रामू पुत्र गणेश अपनी उक्त स्वीकृति से पाबंद है और इसी आधार पर वाद पर एस्टोप्ल का सिद्धान्त लागू होने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद चलने योग्य नहीं था बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से वाद स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा रहा हो अथवा वर्तमान में हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किये जाते समय यह विवेचन नहीं किया है कि किस दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद साबित पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से परे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जाकर मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2021 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि कभी भी रामू के पिता गणेश की नहीं रही। एकीकरण विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर रामू की खातेदारी भूमि में रामनाथ व म्हौरी के नाम हिस्सा 1/3–1/3 गलत दर्ज किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के विवेचन में स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है। जमाबंदी संवत् 2008 से पूर्व के दस्तावेजों में अपीलान्ट या अपीलान्ट के हक पूर्वाधिकारियों का कोई अंकन रामू के नाम दर्ज भूमियों में नहीं रहा है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में आराजीयात गणेश की पैतृक भूमि होना वर्णित किया किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि आराजीयात पूर्व में गणेश के नाम रही हो। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर उसके सही खातेदार के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से आराजीयात पर कब्जा होना साबित नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवम् दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान देकर प्रत्येक तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचित करते हुए तनकीवार निर्णय विधिनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अभिभाषक पक्षकारान् की बहस एवम् रिकॉर्ड के मनन के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि एनेक्चर–1 खतौनी बंदोबश्त संवत् 2008 से 2027 अनुसार खसरा नंबर 949 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 956 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 973 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 974 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 989 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 999 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 993 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 948 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1017 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1769 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1772 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1801 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 975/3195 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 975/3196 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 1802/3198 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1016 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 2279 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2291/3167 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा जो खाता संख्या 141 की आराजीयात है, का रामू पुत्र गणेश कौम ब्राहम्ण तन्हा खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार एनेक्चर–2 के अनुसार खाता संख्या 142 के खसरा नंबर 1751 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2267/3172 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 2291/3169 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के रामू पुत्र गणेश, श्योना पुत्र हुकमा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवम् इसी प्रकार एनेक्चर–3 खतौनी बंदोबश्त संवत् 2008 से 2027 में खाता संख्या 143 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1073 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में रामू पुत्र गणेश हिस्सा आठाना, श्योना पुत्र हुकमा व बीजा पुत्र रूघनाथ हिस्सा चाराना व डालू मोहरिया पुत्र देवा हिस्सा चाराना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तत्पश्चात् इसी के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2018 जो कि एनेक्चर–4 है, में पूर्व कायम किये गये खसरा नम्बरान् के वर्तमान खसरा नम्बरान् के सन्दर्भ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में कॉलम नम्बर 5 में रामू पुत्र गणेश हिस्सा 1/3, रामनाथ पुत्र गुमान हिस्सा 1/3 व म्होरी बेवा ज्ञाना हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया है। दौराने बहस एवम् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब वाद के अनुसार उक्त दुरूस्ती इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2018 की वजह पत्रावली पर उपलब्ध एनेक्चर–2 को आधार बनाया गया है एवम् प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह दर्ज कराया गया है कि स्वयं रामू द्वारा ए.एस.ओ. के समक्ष अपने बयान दर्ज करा कर उक्त दुरूस्ती करा कर सम्वत् 2018 की खतौनी में हुए इन्द्राज दुरूस्ती की वजह जाहिर की है। इस सन्दर्भ में एनेक्चर–ए–2 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि रामू खातेदार ने हाजिर होकर इन्द्राज खाते को दुरूस्त किया एवम् उसके द्वारा क्या दुरूस्त किया गया, के सन्दर्भ में उसी के नीचे अंकित किया गया है कि " खसरा नम्बर 1753, 1754 का हमने भाई बंटवारे में सोन्या वल्द हुकमा के खाते में किया जावे, हमने भाई बंटवारा किया है। " जिससे स्पष्ट है कि रामू द्वारा जो भी सहमति दी गई है वह खसरा नंबर 1753 व 1754 में सोन्या वल्द हुकमा के सन्दर्भ में दी गई है, रामनाथ व म्होरी के सन्दर्भ में कोई सहमति नहीं दी गई है क्योंकि यदि ऐसी कोई सहमति दी गई होती तो उसका भी अंकन उक्त एनेक्चर–ए–2 में होता। इसके अतिरिक्त जैसा कि बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उल्लेखित किया गया कि एकीकरण के दौरान सेटलमेन्ट विभाग को मात्र किसी प्रकार के किसी व्यक्ति विशेष की खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में बंटवारा किये जाने का अधिकार निहित नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि एनेक्चर–ए–2 में एकीकरण के दौरान जो हिस्से दर्ज किये गये है वह निराधार है एवम् शून्य प्रभावी है, इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि राजस्व अभिलेखों के स्पष्ट अंकन के मुकाबले मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2021 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर